

II/निगरानी/अशोकनगर/25/2016-17/1646
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

73

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-अशोकनगर

- 1- जहीरन वी पत्नी श्री छोटे खाँ
- 2- जाहिद खाँ पुत्र श्री छोटे खाँ
निवासी-ग्राम नरखेडा तहसील मुंगावली जिला
- अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

श्री. मधुसूदन शर्मा तर्फे.
द्वारा आज दि. 06-6-17 को
प्रस्तुत
क
6.6.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

- 1- मंजू जैन पत्नी रुपेश जैन
- 2- संध्या जैन पत्नी शैलेश जैन
निवासीगण - पुराना बाजार मुंगावली जिला
अशोकनगर (म.प्र.)
- 3- नत्थू सिंह पुत्र श्री रामलाल दांगी
निवासी - नरखेडा तहसील मुंगावली जिला
अशोकनगर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगावली जिला अशोकनगर
द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक
03.06.2017 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के
अधीन पुनरीक्षण।

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/1646

जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-6-2017	<p>आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-6-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण के रथगन बढ़ाये जाने संबंधी आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>